**संख्या-18/2026/668/उन्नीस-2-2026/005-1984320**

प्रेषक,

**संजय प्रसाद,**
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0,
लखनऊ।

सूचना अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 05 नवम्बर, 2026

**विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में लेखाशीर्षक ''2220-सूचना तथा प्रचार'' के अन्तर्गत मानक मद संख्या-''19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय'', "18-प्रकाशन" एवं "22-आतिथ्य व्यय" में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-156/सू0एवंज0स0वि0(लेखा)-2026, दिनांक 16.10.2026, पत्र संख्या-157/सू0एवंज0स0वि0(लेखा)-2026, दिनांक 16.10.2026 एवं पत्र संख्या-158/ सू0एवंज0स0वि0(लेखा)-2026, दिनांक 16.10.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-86 के लेखाशीर्षक ''2220-सूचना तथा प्रचार'' के अन्तर्गत मानक मद संख्या-''19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय'' में अवशेष धनराशि रू0 5,00,00,00,000/- (रूपये पॉच अरब मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 2,50,00,00,000/- (रुपये दो अरब पचास करोड़ मात्र), "18-प्रकाशन" में अवशेष धनराशि रू0 1,00,00,00,000/- (रूपये एक अरब मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 46,50,00,000/- (रुपये छियालीस करोड़ पचास लाख मात्र) एवं "22-आतिथ्य व्यय" में अवशेष धनराशि रू0 7,50,00,000/- (रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 3,50,00,000/- (रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र) सहित कुल धनराशि रू0 3,00,00,00,000/- (रुपये तीन अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्न नियम शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 मार्च तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित ऑकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुए पत्रावली पर वित्त विभाग को अवगत करायेंगे।

(3) धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।

(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का होगा।

(6) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा नवनिर्मित प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल, 2016 के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.17 की व्यवस्था का ध्यान रखा जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

**लेखाशीर्ष:** 2220600010300 (अधिष्ठान व्यय )

| | **अनुदान संख्या** | **लेखा शीर्षक** | **मानक मद** | **प्रस्तावित धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 086 | 2220600010300 अधिष्ठान व्यय | 22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि | 3,50,00,000 (रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र) |
| | **कुल** | | | **3,50,00,000 (रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)** |

**लेखाशीर्ष:** 2220601010500 (अधिष्ठान )

| | **अनुदान संख्या** | **लेखा शीर्षक** | **मानक मद** | **प्रस्तावित धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 086 | 2220601010500 अधिष्ठान | 19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 2,50,00,00,000 ( रुपये दो अरब पचास करोड़ मात्र ) |

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **कुल** | | | **2,50,00,00,000 ( रुपये दो अरब पचास करोड़ मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 2220601100300 (अधिष्ठान )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 086 | 2220601100300 अधिष्ठान | 18 प्रकाशन | 46,50,00,000 (रुपये छियालीस करोड़ पचास लाख मात्र) |
| | **कुल** | | | **46,50,00,000 (रुपये छियालीस करोड़ पचास लाख मात्र)** |

| | |
|---|---|
| **महायोग** | 3,00,00,00,000 ( रुपये तीन अरब मात्र ) |

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है।

**भवदीय,**

**संजय प्रसाद**
**अपर मुख्य सचिव।**

**संख्या-18/2026/668(1)/उन्नीस-2-2026/005-1984320 तद्दिनांकित**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड पत्रावली हेतु।

**आज्ञा से,**

**चंचलता श्रीवास्तव**
**अनु सचिव।**

https://shasanadesh.up.gov.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।